कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री आशा मेडिकल इन्जीनियर्स, ए-1, एकता नगर, एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ।**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**012 / 16, 04.07.2016**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राजेश सिंह, विद्वान अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री आशा मेडिकल इन्जीनियर्स, ए-1, एकता नगर, एस0जी0पी0जी0आई0, रायबरेली रोड, लखनऊ द्वारा दिनांक 04.07.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा मेडिकल इक्यूपमेन्ट, नान लुब्रीकेटेड / ऑयल फ्री कम्प्रेशर, एयर ड्रायर, एयर फिल्टर, एयर रेगुलेटर, बेक्ट्रीरिया फिल्टर, स्टोरेज टैंक एवं मेडिकल आक्सीजन पर कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री राजेश सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया।

3. एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ के पत्र संख्या-867, दिनांक 27.07.2016 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि :-

क्रम संख्या-01 पर मेडिकल इक्यूपमेन्ट
क्रम संख्या-02 पर नान लुब्रीकेटेड / ऑयल फ्री कम्प्रेशर
क्रम संख्या-03 पर एयर ड्रायर
क्रम संख्या-04 पर एयर फिल्टर
क्रम संख्या-05 पर एयर रेगुलेटर
क्रम संख्या-06 पर बैक्ट्रीरिया फिल्टर
क्रम संख्या-07 पर स्टोरेज टैंक
क्रम संख्या-08 पर मेडिकल आक्सीजन

उक्त के क्रम में क्रम संख्या-01 पर अंकित वस्तु मेडिकल इक्यूपमेन्ट उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-79 से आच्छादित है। क्रम संख्या-02, 03, 04, 05, 06 एवं 07 पर अंकित वस्तुएं उक्त प्रविष्टि संख्या-79 से आच्छादित नहीं हैं। अत: इन वस्तुओं पर अवर्गीकृत की भाँति 12.5% की दर से एवं शेष अतिरिक्त कर की देयता है। क्रम संख्या-08 पर अंकित वस्तु मेडिकल आक्सीजन गैस उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-79 से आच्छादित माना जा सकता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा पृच्छित प्रश्न में से मेडिकल इक्यूपमेन्ट उत्तर

....2

प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-79 से आच्छादित है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-79 निम्नवत है :-

Medical equipment /devices & implants; I.B. Canula,Scalp Vanset,Surgical Blade, Blood collection tube; Contact lens, spectacle frame, lenses, spectacles excluding sun goggles and sun glasses

इसी प्रकार मेडिकल आक्सीजन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-38 से आच्छादित है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-38 निम्नवत है :-

Hydrogen, rare gases and oxygen gas ,Carbondioxide and nitrogen gas

अत: मेडिकल इक्यूपमेन्ट एवं मेडिकल आक्सीजन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होना चाहिए । मेडिकल आक्सीजन पर पूर्व में सौरभ सिंह गहलौत, एडवोकेट, 19 डी, आवास विकास कालोनी, माल एवेन्यू, लखनऊ के प्रार्थना-पत्र संख्या-39 / 2012 में दिये गये निर्णय दिनांक 31.08.2012 में निर्णीत किया जा चुका है । नान लुब्रीकेटेड / ऑयल फ्री कम्प्रेशर, एयर ड्रायर, एयर फिल्टर, एयर रेगुलेटर, बेक्ट्रीरिया फिल्टर एवं स्टोरेज टैंक स्वयं में मेडिकल इक्यूपमेन्ट नहीं है एवं तदनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं । अत: उक्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया । प्रार्थी द्वारा पृछित प्रश्न में से मेडिकल इक्यूपमेन्ट एवं मेडिकल आक्सीजन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी । शेष नान लुब्रीकेटेड / ऑयल फ्री कम्प्रेशर, एयर ड्रायर, एयर फिल्टर, एयर रेगुलेटर, बेक्ट्रीरिया फिल्टर एवं स्टोरेज टैंक उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं । अत: उक्त वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी ।

6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये ।

दिनांक 24 अक्टूबर, 2016

ह0 / 24.10.2016

(मुकेश कुमार मेश्राम)

कमिश्नर वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।